15-5-[illegible]

नकल आदेश दिनांक 26-4-13 वाद सं० 32 धारा 143 ज० वि० अधि० ग्राम - कठौता परगना हवेली त० सदर जौनपुर विजय बहादुर बनाम सरकार न्यायालय: उपजिलाधिकारी सदर - जौनपुर।

प्रतिलिपि उ० प्रमाणित ... 26/4/13

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर जौनपुर ।

वाद संख्या 39 /धारा 143 ज0वि0अधि0

सा0मौ0 बढौना परगना हवेली तहसील सदर,जौनपुर।

दिग्विजय आदि-- बनाम--सरकार

निर्णय

दिग्विजय पुत्र राजनाथ एवं श्रीमती शकुन्तला पत्नी राजनाथ निवासी ग्राम रामदासपुर परगना हवेली तहसील सदर जौनपुर ने आराजी संख्या 332/0-279 हे0 मे से 0--190 हे0 स्थित मौ0 बढ़ौना परगना हवेली तहसील सदर जौनपुर के बावत धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना पत्र दिया है कि खाता संख्या 240 मे अंकित भूमि संख्या 332/0-279 हे0मे प्रार्थीगण बैदार है और उनका नाम संलग्न खतौनी मे अंकित है । इसमे अपने हिस्से/बैनामे की भूमि मे प्रार्थीगण ने हाट मिक्स प्लांट स्थापित किया है और मौके पर यह प्लांट चल रहा है। इस भूमि मे प्रार्थी ने आवास हेतु कमरा,हैण्ड पम्प व घर गृहस्थी स्थापित किया है । इस प्रकार प्रश्नगत भूमि अकृषिक प्रयोग की हो गयी है ।

अन्त मे याचना किया है कि कृषि कार्य से भिन्न आबादी के तौर पर उपयोग किया जा रहा है तो अकृषिक घोषित किया जाय ।

उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक मे तहसीलदार सदर से नियत प्रारुप पर आख्या मंगायी गयी है जो संलग्न पत्रावली है ।

तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम बढ़ौना परगना हवेली तहसील सदर जनपद जौनपुर मे स्थित आ0नं0 332म0/0-190 हे0 अभिलेख खतौनी मे भूमिधरी खाते की भूमि है जो दिग्विजय पुत्र राजनाथ व श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी राजनाथ निवासी ग्राम रामदासपुर के नाम से है । मौके पर हाटमिक्स प्लांट लगाकर व पक्का कमरा,हैण्डपम्प आदि लगाया गया है। मौके पर आ0नं0 332 मि0 रकबा 0-190 हे0 पर कृषि कार्य नही होता । उक्त भूमि गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाया जा रहा है । भूखण्ड संख्या 332 मि0/0-190 हे0 कृषि उपयोग मे नहीं होने के कारण उपरोक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित करने की आख्या प्रेषित किया गया है । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 22-4-2013 स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

अतः ग्राम बढ़ौना पर0 हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर की आ0सं0 332 मि0 / 0-190 हे0 भूमि मालगुजारी मुताबिक 60ख कृषि से भिन्न प्रयोजन मे प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है । आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

26/04/13

उपजिलाधिकारी

सदर जौनपुर।

245

26-4-13

13-07

26-4-13

26-4-13

353

सत्य प्रतिलिपि

26/4/13

उप जिलाधिकारी

सदर - जौनपुर

Scanned with CamScanner